

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ईमेल- [higheredu3@rajasthan.gov.in](mailto:higheredu3@rajasthan.gov.in) दूरभाष-0141-5153222ए 5153223ए 5153660 (आ.पौ.नं.24870)

क्रमांक प. 1(2)शिक्षा / ग्रुप-3 / 2021पार्ट

जयपुर, दिनांक:- 09.02.2021

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.02.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नांकित प्राचार्यों का उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान/महाविद्यालय में स्थानान्तरण/पदस्थापन एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ.	कहां से(राजकीय महाविद्यालय)	कहां को(राजकीय महाविद्यालय)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	इन्दू प्रकाश सिंह	सैपउ	सैपउ	रिक्त पद पर
2	महेन्द्र सिंह	डीग	डीग	रिक्त पद पर
3	अनुराधा त्रिपाठी	अजमेर	मंगलाना	रिक्त पद पर
4	राजेन्द्र सिंह	नागौर	कन्या नागौर	रिक्त पद पर
5	राकेश भट्ट	चित्तौड़गढ़	कन्या चित्तौड़गढ़	रिक्त पद पर
6	श्रवण लाल खटीक	मण्डफिया	मण्डफिया	रिक्त पद पर

उक्त अधिकारी अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहणकाल का उपयोग किये बिना ही तत्काल कार्यग्रहण कर, कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संजय शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित महाविद्यालय/अधिकारी।
5. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एफ.1(02)पीएस/आकाशि/21/726

दिनांक: 10.02.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. संबंधित प्राचार्य को प्रेषित कर लेख है कि नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब आयुक्तालय को प्रेषित करें एवं Spreadsheet "VIDHANSABHA-2021" में नाम अद्यतन करें।
6. स्थापना शाखा/कार्मिक शाखा/गोपनीय शाखा/रोकड़ शाखा।
7. वेबसाइट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. आर. सी. मीना)

संयुक्त निदेशक(एचआरडी)